प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'तेरह'

[23/2/2017]

184

प्रश्न सं. [क्र. 913]

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल—462 004

क्रमांक/एफ-7-36/2004/आ.प्र./एक

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2005

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय:—मांझी जाति के प्रमाण-पत्र धारकों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही स्थगित रखने विषयक निर्देश.

संदर्भ:—इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 7-4/98/आ.प्र./एक, दिनांक 6 मार्च, 1998 समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 7 सितम्बर, 1998, दिनांक 25-9-1998 एवं ज्ञाप क्रमांक एफ 7-36/2004/आ.प्र./एक, दिनांक 20-9-2005.

मांझी जाति के प्रमाण-पत्र धारियों के विषय में इस विभाग के संदर्भित निर्देशों को निरसित करते हुये यह स्पष्ट किया जाता है कि जो व्यक्ति मांझी अनुसूचित जनजाति के प्रमाण-पत्र के आधार पर आरक्षण या शासन से उपलब्ध अन्य सुविधाएं प्राप्त कर चुके हैं तो उन्हें यथावत् रखा जाए. यदि उनके विरुद्ध जाति प्रमाण-पत्र से संबंधित कोई कार्यवाही प्रचलित हैं तो उसे अग्रिम आदेश पर्यन्त स्थगित रखा जाए.

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि धीवर, केवट, कहार, भोई, मल्लाह, निषाद, नावड़ा, ढीमर, तुरहा आदि जातियों को भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 के अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं में अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल नहीं किया गया है. मध्यप्रदेश में ये जातियां आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5/पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा जारी की गई अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल हैं. अत: मांझी जाति के व्यक्तियों को छोड़कर उपरोक्त अन्य उप-जातियों के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति के नए प्रमाण-पत्र जारी न किए जाए.

3. उपरोक्त के प्रकाश में मांझी अनुसूचित जनजाति के पूर्व में जारी प्रमाण-पत्रों के आधार पर आरक्षण अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिये शासन से उपलब्ध अन्य सुविधाएं प्रदान करने के पूर्व यह आवश्यक होगा कि संबंधित प्रमाण-पत्र धारी के बारे में संबंधित कलेक्टर से पुष्टि कर लें कि संबंधित प्रमाण-पत्र धारी मूल रूप से मांझी अनुसूचित जनजाति का ही सदस्य है. ऐसी जांच की कार्यवाही यथासंभव एक माह में पूर्ण करा ली जावे.

4. उक्त निर्देशों का सतर्कतापूर्वक पालन सुनिश्चित किया जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./

(खुशीराम)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग (आ.प्र.)
मंत्रालय भोपाल